दिनांक 05.08.2022
प्रेस विज्ञप्ति 05/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हापुड/थाना कपूरपुर

- **25–25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल, दो मैग्जीन, 07 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 05.08..2022 को थाना कपूरपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम बझैडा नहर पटरी भूडिया गॉव जाने वाले तिराहे के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–गौरव उर्फ अवी 2–मोनू घायल हो गये, जिसे गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात पुरस्कार घोषित अभियुक्त 3–सोनू व 4–अभियुक्ता को डहाना जंगल ग्राम छज्जूपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 पिस्टल, 02 मैग्जीन, 07 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गौरव उर्फ अवी, अभियुक्त मोनू व अभियुक्त सोनू उर्फ जूली के विरूद्ध थाना कपूरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—12/2022 धारा 302/34/120बी भादवि में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कपूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—गौरव उर्फ अवी निवासी ग्राम अबूपुर थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।

2—मोनू निवासी ग्राम अबूपुर थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।

3—सोनू निवासी ग्राम अबूपुर थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।

4—अभियुक्ता

<u>बरामदगी</u>

1—01 पिस्टल, 02 मैग्जीन, 07 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

3— 03 मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

<u>जनपद मीरजापुर/थाना अदलहाट</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 04/05.08.2022 को थाना अदलहाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरैनी मोड़ पुलिया के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1—मोहित 2—दुर्गेश 3— बादल

को गिरफ्तार किया गया तथा एक अन्य बदमाश की गिरफ्तारी हेतु घेराबन्दी किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अर्जुन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अर्जुन के विरूद्ध जनपद मीरजापुर, वाराणसी के विभिन्न थानो में वाहन चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मीरजापुर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अदलहाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहित निवासी छोटी पियरी थाना चौक जनपद वाराणसी।

2—दुर्गेश निवासी धूपचंडी लेवर कॉलोनी थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी।

3—बादल निवासी कबीर चौरा थाना चेतगंज जनपद वाराणसी।

4—अर्जुन निवासी विजयीपुरा कोनिया थाना आदमपुर जनपद वाराणसी।

बरामदगी

1—चोरी की 12 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद कानपुर देहात/थाना अकबरपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 05.08.2022 को थाना अकबरपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त नीरज उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना अकबरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 228/2022 धारा 394/325/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नीरज उर्फ छोटू निवासी अकोडिया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

जनपद जालौन/थाना कोंच

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 50 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.08.2022 को थाना कोंच व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गुरावती के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—सुरेश 2—दीपू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 50 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुरेश के विरूद्ध जनपद जालौन, औरैया के विभिन्न थानों पर लूट चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त दीपू के विरूद्ध जनपद औरैया के विभिन्न थानों पर कई अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 11.07.2022 को थाना कोंच क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोंच पर मु0अ0सं0—138/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोंच पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सुरेश निवासी गहेसर थाना दिवियापुर जनपद औरैया।

2—दीपू निवासी गहेसर थाना दिवियापुर जनपद औरैया।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के 50 हजार रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद कुशीनगर/थाना पटहेरवा</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.08.2022 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खैरटिया बनकटा मोड़ के पास से चेकिंग के दौरान अभियुक्त राजू उर्फ मेराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो जनपद कुशीनगर के भिन्न–भिन्न स्थानों से वाहनों की चोरी कर ग्राहको को सस्ते दामों में बेच देता है।

इस सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू उर्फ मेराज निवासी जद्दू पिपरा थाना कोतवाली महराजगंज जनपद महराजगंज।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल ।

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कुन्तल 99 किलो 600 ग्राम अवैध पोस्ता छिलका**
- **01 पिकअप वाहन बरामद**

दिनांक 05.08.2022 को थाना देवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना देवा क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–अजमत 2–नियाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 कुन्तल 99 किलो 600 ग्राम अवैध पोस्ता छिलका, 01 पिकअप वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजमत निवासी गढ़ी कदीम थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

2–नियाज निवासी ग्राम भानमऊ थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–01 कुन्तल 99 किलो 600 ग्राम अवैध पोस्ता छिलका।

2–01 पिकअप वाहन।

एसटीएफः जनपद रायगढ़ (महाराष्ट्र) मुम्बई में हुई हत्या की घटना में शामिल 02 वांछित अभियुक्तों को जनपद आजमगढ़ से किया गया गिरफ्तार।

आज दिनांक 05–08–2022 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 व जनपद रायगढ (महाराष्ट्र) पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा रायगढ़ (महाराष्ट्र) में हत्या की घटना में शामिल/फरार चल रहे अभियुक्त अमन सिंह व दिलीप शुक्ला को जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखऩीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– अमन सिंह पुत्र दयाशंकर सिंह निवासी खेमीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ।

2– दिलीप शुक्ला पुत्र प्रेमराज शुक्ला निवासी खेमीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ।

गिरफ्तारी का स्थान/समयः–

ग्राम खेमीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ। दिनांक 05–08–2022 समय– रात्रि 01.10 बजे।

दिनांक 28–07–2022 को जनपद रायगढ़ (महाराष्ट्र) के थाना नवीन पनवेल क्षेत्रान्तर्गत जंगल में बुरी तरह से जला हुआ एक शव मिला था। इस संबंध में थाना नवीन पनवेल पर मु0अ0सं0 170/2022 धारा 302/201 आई0पी0सी0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। स्थानीय पुलिस की विवेचना से शव की शिनाख्त प्रवीण शान्ताराम सेलार पुत्र शान्ताराम निवासी उषावली गांव थाना नवीन पनवेल जनपद रायगढ़ (महाराष्ट्र) के रूप में हुई थी तथा उक्त हत्याकाण्ड में नरेश के साथ–साथ अमन सिंह एवं दिलीप शुक्ला निवासी खेमीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ के शामिल होने की बात प्रकाश में आयी, जो घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। उक्त दोनों अभियुक्तों के जनपद आजमगढ़ में छिपे होने की सूचना प्राप्त होने पर रायगढ़ पुलिस द्वारा अभिसूचना को साझा करते हुए एस0टी0एफ0 उ0प्र0 से आवश्यक सहयोग मांगा गया था। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी से उप निरीक्षक ज्ञानेन्द सिंह

एवं उप निरीक्षक श्री शहजादा खॉ के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 टीम व रायगढ़ पुलिस टीम द्वारा जनपद आजमगढ़ में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, कि अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 05–08–2022 को उक्त मुकदमें के अभियुक्त अमन सिंह एवं दिलीप शुक्ला को जनपद आजमगढ़ के थाना पवई क्षेत्रान्तर्गत खेमीपुर से गिरफ्तार किया गया।

अभिसूचना संकलन, पुलिस विवेचना एवं पूछताछ से पाया गया कि प्रवीण शान्ताराम सेलार (मृतक) की शादी नही हुई थी। प्रवीण शान्ताराम के परिचित नरेश ने शादी कराने के नाम पर 40 हजार रूपये लिये थे, परन्तु पैसा लेने के उपरान्त भी शादी न कराने पर प्रवीण शान्ता राम अपने 40 हजार रूपये वापस मॉगने लगा। इस पर नरेश ने अपने साथ काम करने वाले अमन सिंह व दिलीप शुक्ला उपरोक्त से सम्पर्क किया और तीनों ने मिलकर प्रवीण शान्ताराम की हत्या करने की योजना बनायी। योजना के तहत दिनांक 25–07–2022 को प्रवीण शान्ता राम को पैसा वापस करने के नाम बुलाये तथा तीनों ने मिलकर थाना नवीन पनवेल क्षेत्रान्तर्गत जंगल में ले जाकर प्रवीण उपरोक्त की हत्या कर दिये तथा शव की पहचान न हो सके इसलिये शव को पेट्रोल छिड़क कर जलाने का प्रयास किया गया था। उक्त घटना में स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 03–08–2022 को अभियुक्त नरेश को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अभियुक्त अमन सिंह एवं दिलीप शुक्ला को आज गिरफ्तार कर लिया गया।

थाना नवीन पनवेल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 170/22 धारा 302/201 आई0पी0सी0 में गिरफ्तार उक्त दोनों अभियुक्तों को थाना पवई, जनपद आजमगढ में दाखिल करते हुये मा0 न्यायालय आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने की विधिक कार्यवाही तथा मामले की समस्त अग्रिम कार्यवाही नवीं मुम्बई (महाराष्ट्र) पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार, 2,00 कि0ग्रा0 अफीम बरामद।

दिनांक 05–08–2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2.00 कि0ग्रा0 अफीम बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:–

01– कैलाश कुमार दांगी पुत्र स्व0 इंजन दांगी, नि0 इचाक खुर्द, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा (झारखण्ड)

02– पंकज कुमार दांगी पुत्र कवींद्र दांगी, नि0 इचाक खुर्द थाना–सिमरिया, जिला–चतरा (झारखण्ड)

कुल बरामदगी:–

1– 02 कि0ग्रा0 अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब रू0 01 करोड़)

2– 02 अदद मोबाइल फोन

3– 01 अदद आधार कार्ड

4– 01 अदद पैन कार्ड

5– 01 ड्राइविंग लाइसेंस

6– 01 अदद एटीएम कार्ड

7– 02 अदद टिकट महाबोधि एक्सप्रेस

8– 600/–रु0 नगद

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:–

अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट, शिव मंदिर के सामने थाना–सिविल लाइन, जनपद–अलीगढ़ उ0प्र0 दिनाँक 05–08–2022 समय 09.30 बजे प्रात:

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत कुछ समय से जनपद अलीगढ़ व आस पास के जनपदों में विभिन्न प्रकार के अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री विशाल विक्रम सिंह, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिूसचना संकलन के दौरान उप निरीक्षक श्री मनोज सिंह मु0आ0 सुधीर सिंह, रमेश उपाध्याय, आरक्षी कमाण्डो सुभाष कुमार मु0आ0चालक प्रमोद सिंह की एक टीम जनपद अलीगढ़ में कार्यवाही करने के उद्देश्य से मौजूद थी, उसी दौरान एसटीएफ टीम को विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 05–08–2022 को कुछ लोग झारखण्ड राज्य से अवैध मादक पदार्थ (अफीम) की खेप लेकर ट्रेन के माध्यम से अलीगढ़ जायेगे। इस सूचना से उच्चाधिकरियों को अवगत कराते हुए तत्काल मुखबिर द्वारा बताये हुये स्थान पर पहुॅचकर 02 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह बड़े पैमाने पर मादक पदार्थो की तस्करी का कार्य करते है। गिरोह का सरगना अवधेश कुमार है। जोकि बड़े पैमाने पर झारखण्ड से अफीम व ब्राउन शुगर की सप्लाई उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली व हरियाणा राज्यो को अपने कैरियर्स के माध्यम से करता है। इसी क्रम में आज अवधेश ने अपने 02 कैरियर्स के माध्यम से अफीम की सप्लाई अलीगढ़ के रास्ते सम्भल जनपद में किसी तस्कर को देने के लिए भेजा था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन, जनपद–अलीगढ़ में मु0अ0सं0 391–392/2022 धारा 8/17/18 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

——————————